न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :178/2018 (76 भू राजस्व अधि01956) (R.C.M.S . no 2018/00196)

1. असलूप पुत्र श्री सोकत जाति मेव निवासी उभयपुर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. नूरमौहम्मद पुत्र श्री हुरमत जाति मेव निवासी दालिशपुर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. झम्मन पुत्र श्री नारायन जाति माली निवासी सहडूंगर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. मलाह पुत्री नारायन पत्नि श्री रामजीलाल जाति माली निवासी सतवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
3. मुस0 कलावती बेवा श्री रेखा जाति माली निवासी सहडूंगर तहसील पहाडी जिला भरतपुर। **(मृतक)**
4. रेवती पुत्र श्री रेखा जाति माली निवासी सहडूंगर **(मृतक)**

4/1. पूरन
4/2. किशोरी
पिसरान श्री रेवती जाति माली निवासीयान सहडूंगर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

4/3. रामवती पुत्री श्री रेवती पत्नी श्री तुलसी जाति माली निवासी सतवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

5. चमेली
6. बसन्ती
7. रामप्यारी
पुत्री श्री रेखा जाति माली निवासी सहडूंगर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

8. किशनी पुत्री श्री रेखा पत्नी श्री निर्भय जाति माली निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
9. हरचंद पुत्री श्री रेखा पत्नी श्री निर्भय जाति माली निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
10. तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्टस

11. साहब खां पुत्र श्री सुलेमान जाति मेव निवासी उभयपुर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेन्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग अपील संख्या 44/2002 उनवान नारायन बनाम तहसीलदार पहाडी निर्णय दिनांक 28.8.2002 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 596 दिनांक 11.3.2002 ग्राम सहडूंगर तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः— 31.07.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 28.8.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 596 तहसीलदार पहाडी द्वारा दिनांक 11.3.2002 बयनामा के आधार पर अपीलान्ट साहब खां वगैरह के हक में स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध रैस्पोडेन्टस द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के समक्ष अपील पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2002 के जरिये रैस्पोडेन्टस की अपील स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 596 दिनांक 11.3.2002 निरस्त कर दिया गया। अतिरिक्त कलक्टर डीग के इस आदेश दिनांक 28.8.2002 के खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्टस ने लीला पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली निवासी हाल कामां से आराजी खसरा नम्बर 112, 521, 614, किता—3 रकबा 1.59 हैक्टेयर वाकै ग्राम सहडूंगर तहसील पहाडी को 1,96,000/— रू0 में रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र दिनांक 22.4.1994 को क्रय किया था और मौके पर कब्जा भी प्राप्त किया था। इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्टस के हक में पटवारी हल्का ने दाखिला खारिज दर्ज कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया और आई0एल0आर0 ने भी दिनांक 28.4.1994 को इसकी पुष्टी की परन्तु राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के स्थगन आदेश के कारण दाखिल खारिज स्वीकार नहीं हो सका। झम्मन आदि का दावा खारिज हो गया जिसकी अपील झम्मन आदि ने राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां प्रस्तुत की। जो दिनांक 12.1.2002 को पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

तहत को रिमाण्ड कर दिया और समस्त कार्यवाही रिमाण्ड के बाद प्रारम्भ से होती है। ऐसी सूरत में जो राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर का स्थगन आदेश था वह भी निरस्त हो गया। तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 11.3.2002 को दाखिल खारिज संख्या 596 को अपीलान्टस के हक में स्वीकार कर दाखिल खारिज दर्ज करने के आदेश दे दिये। परन्तु रैस्पोडेन्टस की ओर से दिनांक 11.3.2002 के आदेश की अपील अतिरिक्त कलक्टर डीग के यहां की गई जिन्हौने अपील संख्या 102/2000 में पारित आदेश दिनांक 12.2.2002 के रिमाण्ड होने के बाबजूद भी दिनांक 11.3. 2002 के तहसीलदार के आदेश को इस आधार पर केन्सिल कर दिया कि स्थगन आदेश था। जबकि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 12.2.2002 के फैसले के रोज एवं मामले को सहायक कलक्टर कामां को रिमाण्ड करने के बाद स्वतः ही प्रभावहीन हो गया। राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश में यह भी नहीं लिखा था कि स्थगन आदेश वदस्तूर रहेगा। यह कि जो अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के यहां जो रैस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट के विरूद्ध अपील पेश की थी उसमें भी चुन्नीलाल के वारिसान को पार्टी नहीं बनाया था और इस प्रकार अपील संधारण योग्य नहीं थी परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर ने इस पर भी कोई गौर नहीं किया और अपील मेन्टेबिल न होते हुये भी उसको स्वीकार कर लिया। यह कि अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने जो दिनांक 28.8.2002 को जो दाखिल खारिज संख्या 596 दिनांक 11.3.2002 को स्वीकार किया उसमें राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां से अपील में पारित अस्थाई आदेश से इन्कार नहीं किया जा सकता गलत धारणा की है जबकि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां अपील अंतर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट नम्बर 102/2000 दिनांक 12.3.2002 को रिमाण्ड करने के बाद फैसल हो गई और जो क्यासन पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के स्थगन आदेश को माना वह भी विधि विरूद्ध व आरबीट्रेटरी है और अपील भी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध जो की थी वह अवधि बाहर थी क्यों कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध एक माह में ही अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां अपील की जा सकती थी जबकि अपील दिनांक 8.5.2002 को दायर की गई थी। अवधि बाहर अपील को मैरिट पर नहीं सुना जा सकता था। इसके अलावा रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई भी प्रार्थना पत्र देरी को माफ कराने का नहीं दिया गया था। अपीलान्टस के हक में जो दाखिल खारिज दिनांक 11.3.2002 को हुआ है वह विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है जिमसें कब्जा देना अपीलान्टस को साबित किया है। ऐसी सूरत में दिनांक 28.8.2002 का अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का आदेश निरस्त योग्य है एवं दाखिल खारिज संख्या 596 तहसीलदार पहाडी दिनांक 11.3.2002 स्वीकार किया जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत ने वैद्य दस्तावेज

बयनामा एवं महत्वपूर्ण मियाद बिन्दु पर गौर न किया जाकर, विभिन्न हायर अदालतों द्वारा प्रतिपादित सिद्यान्तों को अनदेखा करते हुये केवल कयासों के आधार पर विधि विरूद्ध, क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2002 पारित कर दिया गया है जो कतई न्याय संगत न होने के कारण काबिले मंसूखी है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का आदेश दिनांक 28.8.2002 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2002 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट ने दौराने दावा विवादित आराजी को क्रय किया है। वर्तमान में यह दावा उपखण्डाधिकारी पहाडी के न्यायालय में बिचाराधीन है जिसकी सत्य प्रतिलिपि रैस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की है। यह कि उपखण्डाधिकारी कामां ने पूर्व में रैस्पोडेन्ट का दावा खारिज कर दिया था जिसकी अपील रैस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जिसमें स्थगन आदेश राजस्व अपील अधिकारी ने जारी किया । इस स्थगन आदेश के कारण अपीलान्ट का दाखिल खारिज मंजूर नहीं हो सका। राजस्व अपील अधिकारी ने रैस्पोडेन्ट को अपील मंजूर कर दावा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड कर दिया । राजस्व अपील अधिकारी के यहां से रिमाण्ड आदेश के बाद तहसीलदार ने गलत रूप से नई पटवारी रिपोर्ट का हवाला देकर दाखिल खारिज मंजूर कर लिया जबकि 1994 की रिपोर्ट के बाद कोई नई रिपोर्ट न तो पटवारी हल्का की है और न ही गिरदावर की है। यह समस्त कार्यवाही तहसीलदार ने अपीलान्ट से मिलीयत करके की है जिसे अतिरिक्त कलक्टर डीग ने सही रूप से निरस्त किया है। यह कि अतिरिक्त कलक्टर डीग ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि कोई नई रिपोर्ट 1994 के बाद नामान्तरकरण पर पटवारी की नहीं ली गई है। तहसीलदार ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत दाखिल खारिज मंजूर किया है। अतिरिक्त कलक्टर डीग ने जब राजस्व अपील अधिकारी के दावे को रिमाण्ड कर दिया तो दावा स्वतः ही आस्तित्व में आ गया और दावे के साथ जारी स्थगन भी आस्तित्व में आ गया। स्थगन आदेश के होते हुये तहसीलदार को नामान्तरकरण मंजूर नहीं करना चाहिऐ था। वर्तमान में भी दावा चल रहा है जिसमें स्थगन आदेश जारी है। तहसीलदार ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत आज्ञा पारित की है जो काबिले मंसूखी है। यह कि रैस्पोडेन्ट विवादित आराजी के शिकमी जोता है जिनका विवादित आराजी पर पचासों साल से कब्जा है। रैस्पोडेन्ट ने अपने अधिकारों के लिये न्यायालय

उपखण्डाधिकारी पहाडी के यहां दावा कर रखा है जिसमें स्थगन जारी है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2002 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 596 के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपीलान्टस के द्वारा लीला पुत्र चुन्नी जो एक रिकार्डेड खातेदार है से उक्त विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उचित प्रतिफल देकर दिनांक 22.4.1994 को क्रय की गई है। यह बयनामा आज दिनांक तक आस्तित्व में बने रहने से बेचान को अवैध नहीं माना जा सकता इसके अलावा बयनामा का परीक्षण किया जाना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि रैस्पोडेन्टस के द्वारा शिकमी पिता की सन्तान की हैसियत से खातेदार लीला वगैरह के खिलाफ सहायक कलक्टर कामां के यहां नियमित दावा किया जो खारिज हो गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां की गई जो आंशिक स्वीकार होकर रिमाण्ड की गई है। रैस्पोडेन्ट का कहना है कि दौराने दावा एवं दौराने स्टे बयनामा एवं नामान्तरकरण हुये है जो निरस्त योग्य है। इन बिन्दुओं पर परीक्षण किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि रैस्पोडेन्टस के द्वारा लीला वगैरह के खिलाफ सहायक कलक्टर कामां के यहा दावा दिनांक 7.6.1993 को पेश किया। जिसमें सहायक कलक्टर कामां ने 212 आरटीएक्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.4.1994 को खारिज कर दिया गया। दिनांक 22.4.1994 को लीला ने उक्त आराजी अपीलान्टस को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दी गई। इस प्रकार दिनांक 22.4.1994 को दौराने बयनामा किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। सहायक कलक्टर कामां के इस आदेश दिनांक 19.4.1994 की अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां की गई तो राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर ने दिनांक 26.4.1994 को स्टे जारी करते हुये निर्णय दिनांक 18.10.1996 से स्टे को बदस्तूर रखा गया। इधर सहायक कलक्टर कामां ने मूल दावा जो रैस्पोडेन्ट की ओर से लीला वगैरह के खिलाफ कर रखा था दिनांक 29.4.2000 को पूर्णतया खारिज कर दिया गया। इसकी भी अपील राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष की गई जिसमें दिनांक 12.2.2002 निर्णय पारित करते हुये प्रकरण सहायक कलक्टर कामां के लिये पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया। इधर तहसीलदार पहाडी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 596 दिनांक 11.3.2002 को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर क्रेतागण/अपीलान्टस के हक में यह कहते हुये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वीकार कर दिया कि ''.....मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वर्तमान में कोई स्थगन आदेश नहीं है अतः नामान्तरकरण स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत दस्तावेज शामिल रहे .....'' इस नामान्तरकरण की अपील अतिरिक्त कलक्टर डीग के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त कलक्टर डीग के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2002 पारित करते हुये अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण यह मानते हुये निरस्त कर दिया गया कि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करते ही मूल दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही वजूद में आ जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त कलक्टर के इस तथ्य से हम सहमत रहते है क्यों कि यह नामान्तरकरण तहसीलदार के समक्ष सन 1994 से राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के स्टे के प्रभाव में ही निरन्तर लम्बित रहा है जिसका नोट भी नामान्तरकरण पर अंकित है। यह सही है कि भूमि का खातेदार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा भूमि का कब्जा अन्तरित कर सकता है। कब्जे के संबंध में तहसीलदार द्वारा जॉच किया जाना भी आवश्यक नही है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकण तस्दीक करने के अलावा और अन्य कोई विकल्प भी नही रहता है, किन्तु फिर भी परीक्षण न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह जांच करलें कि दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति विवादित आराजी के संदर्भ में कोई नियमित वाद तो विचाराधीन नहीं है किसी हायर अदालत का स्थगन तो नहीं है। इस बाबत परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने मातहत पटवारी, गिरदावर की रिपोर्ट लिया जाना लाजिमी रहता है। नामान्तरकरण पर पटवारी की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है कि वर्तमान में इस विवादित आराजी पर कोई स्थगन नहीं है। जबकि राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करते ही मूल दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही वजूद में आ जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस तरह निर्णयों की कियान्विति के दौराने लगने वाले समय की आड में सरसरी कार्यवाहियों को अमल में लाया जाना वास्तव में बहुवाद को बढावा देता है तब जबकि सभी को यह विदित भी रहता है कि वास्तविक स्वत्व/अधिकार नियमित वाद से ही तय किये जाते है। इसी के चलते न्यायालय हाजा में यह अपील 76 एल आर एक्ट के अंतर्गत अपीलाधीन नामान्तरकरण के खिलाफ पेश हुई है। नामान्तरकरण की अपील में हक–हकूकों को क्लीयर न किया जाकर केवल नामान्तरकरण की वैद्यता पर ही परीक्षण किया जाना न्यायोचित रहता है। इस प्रकरण में एक रिकार्डेड खातेदार के द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किया गया है जिसके आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। दौराने बहस यह स्थिति स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्टस एक लम्बे अर्से से अपने स्वत्व के लिये परीक्षण न्यायालय में चाराजोही कर रहे है और वर्तमान में आज भी उपखण्डाधिकारी पहाडी के समक्ष यह प्रकरण विचाराधीन है किन्तु अभी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तक उनकों नियमित वाद के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। नामान्तरकरण एक वित्तीय प्रणाली है जिससे खातेदारी हक हकूक प्रभावित नहीं होते है एवं यह भी न्यायोचित नहीं है कि एक खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों के हस्तान्तरणों पर पाबन्दी लगाई जावे तब जबकि किसी सक्षम अदालत का स्थगन भी न हो। ऐसी स्थिति में न्यायिक मंशा यही कहती है कि इस प्रकरण में पक्षकारान के मध्य काफी मुकदमेबाजी हो चुकी है अब और आगे जमीन की कोई खरीद फरोख्त न हो क्यों कि अभी भी इस जमीन से ही संबधित दावा उपखण्डाधिकारी पहाडी के समक्ष विचाराधीन है। नामान्तरकरण न्यायिक प्रकिया नहीं है। नामान्तरकरण एक वित्तीय प्रणाली है अर्थात इससे हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। इससे यह तय हो जाता है कि कौन कृषक भूमि का लगान देगा। इस प्रकरण में न्यायायिक मंशा के मध्यनजर यहां यह वेहद आवश्यक हो जाता है कि अब आगे इस आराजी को जब तक कि विचाराधीन नियमित वाद के अंतर्गत अन्तिम निर्णय सामने नहीं आ जाता रहनवय मुन्तिकिल नहीं किया जावे। इस आदेश से उभयपक्षकरान के साथ–साथ तहसीलदार भी पाबन्द रहेगें। इसके अलावा इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय उपखण्डाधिकारी पहाडी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि इतना लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त भी प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित न किया जाना पक्षकारान के मध्य बहुवाद के पनपने का मुख्य कारण बना रहा है लिहाजा इस प्रकरण में यथाशीघ्र समस्त न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति कर वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार अन्तिम निर्णय पारित किया जाना लाजिमी हो जाता है ताकि प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सके और वास्तविक खातेदार को उसके खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सके। इस प्रकरण में वादी–प्रतिवादी के अलावा क्रेता को भी नजर अंदाज किया जाना न्यायोचित नही रहेगा क्यों कि उसके द्वारा विवादित आराजी रिकार्डेड खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उचित प्रतिफल देकर प्राप्त की है जो इस प्रकरण में एक सदभावी क्रेता की हैसियत रखते है और वर्तमान में उनको मूल दावा में वादीगण नारायन वगैरह द्वारा पक्षकार भी बना लिया गया है। अर्थात इस लिहाज से उभयपक्षकारान के हक–हकूक अब केवल उपखण्डाधिकारी पहाडी के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद के अंतर्गत होने वाले अन्तिम निर्णय पर ही निर्भर रहते है। ऐसी स्थिति में वहुवाद पर अंकुश लगाये जाने के मध्यनजर अब इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत अतिरिक्त कलक्टर डीग का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2002 यथावत

रखा जाता है । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी सूरत में इस विवादित आराजी को अब आगे रहनवय मुन्तिकिल न करें जब तक कि परीक्षण न्यायालय में चल रहे नियमित वाद का अन्तिम निर्णय नहीं आ जाता। परीक्षण न्यायालय उपखण्डाधिकारी पहाडी को पक्षकारान के मध्य पनप रहे बहुवाद के मध्यनजर हिदायत दी जाती है कि एक लम्बे अर्से से विचाराधीन इस प्रकरण में हर संभव प्रयास कर यथाशीघ्र नियमानुसार अन्दर तीन माह अन्तिम निर्णय पारित करें ताकि वास्तविक खातेदारी को उसके हक प्राप्त हो सके और वहुवाद पर अंकुश लग सके। तहसीलदार पहाडी को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं उपखण्डाधिकारी पहाडी के समक्ष विचाराधीन नियमित वाद में अन्तिम निर्णय हो जाने पर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति तहत अदालत अतिरिक्त कलक्टर डीग, उपखण्डाधिकारी पहाडी, और तहसीलदार पहाडी को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official